विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत निराश्रित, वृद्ध, बीमार विकलांग, परित्यक्त गौवंश एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गोतस्करों से बचाये गये केस प्रोपर्टी गौवंश को शरण दिये जाने हेतु निम्न स्थानों पर गोशाला शरणालयों की स्थापना प्रकियाधीन है-

क्रमांक	कार्यदायी स्थानीय निकाय का नाम	भूमि आवंटन स्थान का नाम	गौशाला की क्षमता
1	नगर निगम हरिद्वार	सराय-हरिद्वार	500 पशु (40 वर्ग फुट प्रति पशु)

शासनादेश ई पत्र संख्या 36254 दिनॉक 26 जून 2023 के अनुरूप उपरोक्त गौशाला/शरणालय में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण, सेवा सुश्रुषा एवं प्रबन्धन इत्यादि कार्यो का सम्पादन पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन गठित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI: Animal Welfare Board of India) अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत गौकल्याण हेतु मान्यता प्रदत्त गैर सरकारी संस्थाओं/एन०जी०ओ० के माध्यम से किया जाना है। इन संस्थाओं द्वारा अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Intrest) प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक एवं तुलनात्मक परीक्षण कर संस्था का चयन किया जाएगा। इस क्रम में अभिरूचि की अभिव्यक्ति की शर्तें एवं नियमों का विवरण (Annexure B) एवं निर्धारित आवेदन प्रपत्र (Annexure A) कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, कक्ष संख्या 42, प्रथम तल, विकासभवन, रोशनाबाद- हरिद्वार से अथवा पशुपालन विभाग की अधिकारिक वैबसाइट **https://ahd.uk.gov.in** एवं सूचना विज्ञान विभाग जनपद हरिद्वार की अधिकारिक वेबसाइट **https://haridwar.nic.in** से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है। समस्त इच्छुक आवेदक संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदनपत्र वांछित संलग्नकों सहित **दिनॉक 31 जुलाई 2025 अपराह्न 4:00 बजे** तक कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी हरिद्वार में स्वयं अथवा पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार

मुख्य विकास अधिकारी
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

CamScanner

2910 ... 13
26/06/23

ई पत्र संख्या– 36254/XV-I/23/7(14)22

प्रेषक,

डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनॉक 26 जून, 2023।

विषय : निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापना व संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य में निराश्रित गोवंश की संख्या में निरन्तर वृद्धि के दृष्टिगत जहाँ एक तरफ उनकी सडक दुर्धटना की संख्या में वृद्धि हो रही है, वही दूसरी ओर विभिन्न शहरों में यातायात अवरोध की स्थिति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फसल क्षति की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त कतिपय विभागों द्वारा गोवंश हेतु दी जाने वाली अनुदान की सहायता धनराशि में भी अन्तर है। वर्तमान में जहाँ एक तरफ पशुपालन विभाग द्वारा गोसदनों को प्रति गोवंश प्रतिदिन रू0 30/– का अनुदान भरण–पोषण हेतु प्रदान किया जा रहा है वही शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कतिपय निकायों द्वारा रू0 50/– प्रति गोवंश प्रतिदिन तथा कुछ निकायों द्वारा रू0 80/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण–पोषण अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

अतः उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत निराश्रित/बेसहारा गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने, आश्रय स्थल पर उनके भरण–पोषण की व्यवस्था/संरक्षित गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था, विभिन्न नर गोवंश के बन्ध्याकरण तथा संरक्षित मादा गोवंश को प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वास्थ्यकर पर्यावरणीय दशाएं तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु गोसदनों की स्थापना, संचालन तथा उनके आवश्यक वित्तीय प्रबन्धन हेतु निम्नवत् प्रावधान निर्धारित किया जाता है:–

1. उत्तराखण्ड राज्य में गोसदनों में विद्यमान निराश्रित गोवंशीय पशुओं की संख्या को सम्मिलित करते हुए शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण कर रहे गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु निर्धारित रू 30 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से दी जा रही धनराशि को बढ़ाकर रू0 80 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जायेगा।
2. गोसदनों की स्थापना हेतु एन0जी0ओ0 को मात्र प्रबंधकीय कार्यो हेतु भूमि दिये जाने की अधिकारिता संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को होगी। गोसदनों के संचालन के लिए एन0जी0ओ0 मॉडल अपनाया जायेगा। इस सम्बन्ध में इस क्षेत्र में पूर्व से ही कार्य कर रहे

CamScanner

10/2023

एन0जी0ओ0 को वरीयता दी जायेगी तथा यदि उनके स्तर पर समाधान नहीं हो पाता है तो नये एन0जी0ओ0 के माध्यम से गोसदनों के संचालन की कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी एन0जी0ओ0 के पास पूर्व से भूमि उपलब्ध होगी तो उस पर निर्माण हेतु धनराशि की कमी होने पर राज्य सरकार निर्माण कार्य हेतु व्यय (Gap Funding) धनराशि वहन करेगी। गोसदन स्थापित किये जाने हेतु चिन्हित भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा, मात्र प्रबंधकीय कार्यो हेतु यथानिर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उपयुक्त एन0जी0ओ0 से एमओयू/अनुबन्ध किया जायेगा।

3. निराश्रित गोवंश को भरण-पोषण हेतु दिये जाने वाले अनुदान के लिए पशुपालन विभाग नोडल विभाग होगा तथापि इस निमित्त बजट व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों से पकड़े गये गोवंश के निमित्त शहरी विकास विभाग के आय-व्ययक में तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पकड़े जाने वाले गोवंश हेतु पशुपालन विभाग के आय-व्ययक में बजट प्राविधान कराया जायेगा। शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत इस हेतु प्राविधानित अनुदान तथा आबकारी विभाग के अन्तर्गत सेस के माध्यम से प्राप्त धनराशि को पशुपालन विभाग द्वारा व्यय किया जायेगा। उक्त अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से दिया जायेगा।
4. पशुपालन विभाग के अन्तर्गत उक्त कार्यो को पूर्व से कर रहे 'उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड' को और सशक्त किया जायेगा। इस हेतु इसके अन्तर्गत एक पी0एम0यू0 स्थापित करते हुए युवा पेशेवरों के चार पद सृजित कर उनकी भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से की जायेगी।
5. गोसदनों के पूँजीगत निर्माण कार्यो के निमित्त Gap Funding हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी के नेतृत्व में शहरी विकास विभाग, नाबार्ड, जिला माइनिंग फण्ड तथा अनटाईड फण्ड आदि के माध्यम से बजट व्यवस्था की जायेगी।
6. समस्त नगरीय निकाय नगरीय परिधि से बाहर भी गोसदनो हेतु आवश्यक अनुदान/सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे। नगरीय तथा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंश को पकड़ कर गोसदनों में पहुँचाने हेतु निकायो के स्तर पर हाईड्रोलिक वाहन/Cattle Lifting Vehicle की व्यवस्था की जायेगी।

2. उक्त के क्रम में गोसदनों के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने हेतु शासनादेश संख्याः 1337 दिनांक 26 सितम्बर, 2022 के अनुरूप गठित की गयी विभिन्न स्तर की समितियों द्वारा निम्न दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा :-

1- शासन स्तरीय समिति

क्र0	अधिकारी का नाम	पदनाम

1	अपर मुख्य सचिव/सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3	सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
4	सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड/ पदेन सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड	सदस्य सचिव

कार्य एवं दायित्व –

1. जनपद स्तरीय समितियों की समीक्षा एवं दिशा–निर्देशन।
2. जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयनित किये गये गोसदनों का अनुमोदन।
3. जिलाधिकारी के द्वारा प्रेषित बजट मांग के सापेक्ष, सक्षम स्तर से बजट अवमुक्त कराया जाना।

2– जनपद स्तरीय समिति

क्र०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
3	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
4	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
5	समस्त उपजिलाधिकारी	सदस्य
6	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	तकनीकी सदस्य
7	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
8	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
9	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य

कार्य एवं दायित्व –

1. निराश्रित गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गौशाला शरणालयों की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हीकरण।
2. जिलान्तर्गत विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए निराश्रित गोवंशीय पशुओं की पशुगणना।
3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के आवेदन प्रकरणों का परीक्षण।
4. परीक्षणोपरान्त अनुमोदन हेतु गोसदनों के आवेदन शासन स्तर पर प्रेषण।
5. Gap Funding हेतु धनराशि आबंटन (स्रोतः– शहरी विकास विभाग, नाबार्ड, जिला माइनिग फण्ड, Untied Fund, CSR आदि)
6. चिन्हाकित भूमि पर निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना के लिये आंगणन तैयार करवाकर शासन को बजट मांग का प्रेषण।

CamScanner

7 निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना एवं संचालन की जनपद स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा।

3- विकासखण्ड स्तरीय समिति

No	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3	पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1	सदस्य
4	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

कार्य एवं दायित्व –

1. निराश्रित गोवंश हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना के लिये भूमि का चिन्हीकरण उपरान्त, जिलाधिकारी स्तर पर अनुमोदनार्थ प्रस्तावों पर संस्तुति।
2. गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का संकलन एवं परीक्षण।
3. परीक्षणोपरान्त गैरसरकारी संस्था के आवेदन परीक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति को संस्तुति सहित प्रेषण।
4. जिलाधिकारी स्तर पर बजट मांग का प्रस्ताव प्रेषण।
5. क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से प्राप्त गोसदनों की मासिक निरीक्षण की समीक्षा।

मानक संचालन प्रक्रिया

Step 1- अलाभकर निराश्रित गोवंश की गणना – जिला प्रशासन/ शहरी विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ पशुपालन विभाग के सामन्वयन से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित अलाभकार गोवंश की संख्या निर्धारण हेतु सर्वेक्षण।

Step 2 – भूमि का चिन्हांकन – जिला प्रशासन द्वारा निराश्रित अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गोशाला शरणालय की स्थापना के लिये जनपद अन्तर्गत भूमि का चिन्हीकरण।

Step 3 – मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं एवं नवीन गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा चिन्हांकित भूमि पर निराश्रित अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु गोसदन स्थापना हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आमंत्रण (Invitation of Expression of Interest for Establishment of Gaushala Shelter for Uneconomic Homeless Cattle)।

Step 4 – गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा प्रेषित अभिरूचि की अभिव्यक्ति का निस्तारण (Processing of Expression of Interest) :–

023

Category I- सरकारी भूमि पर, पूर्व से कार्यरत गैरसरकारी मान्यताप्रदत्त संस्था द्वारा संचालित गोसदनों को भूमि का आबंटन।

(क) पूर्व से संचालित गोसदन का क्षमता विस्तार।

(ख) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हांकित नवीन भूमि पर गोसदन की स्थापना।

मानक –

- भूमि/गोसदन परिसर का सशर्त उपयोग।
- चयनित गोसदन द्वारा गोंवश के उचित भरण–पोशण/देख–रेख एवं प्रबन्धन हेतु राजकीय अनुदान के अतिरिक्त अवशेष व्ययों का निर्वहन, स्वयं के संसाधनों द्वारा किये जाने के क्रम में शपथपत्र।
- उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित नियमावलियों/संशोधनों तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधानों के अनुपालन के क्रम में में संकल्पबद्धता का शपथपत्र।

Category II- नवीन गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से गोसदन का संचालन :–

अलाभकर गोवंश (बृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक, निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गो तस्करों से जब्त किये गये न्यायायिक प्रक्रणाधीन केस प्रोपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा 'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007' के प्राविधानों के आलोक में नवीन आवेदक संस्था हेतु, पूर्व से संचालित मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों हेतु निर्धारित मानको को सम्मिलित करते हुए निम्न शर्तो के आधार पर गोवंश संरक्षण हेतु भूमि उपयोग की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है :–

- निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन।
- गो सदनों की स्थापना हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के निम्न आवेदन स्वीकार होंगे जोकि :–

(क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा

(ख) अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धमार्थ संस्था हो अथवा

(ग) पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीयकृत कानून के तहत पंजीकृत संस्था हो अथवा

CamScanner

(घ) कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हों।

- आवेदक संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख भरण पोषण हेतु राजकीय आंशिक सहायता/भरण–पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध हो।

Category III- शहरी विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग/ वन विभाग के अन्तर्गत निकायों (नगर निगमों/नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों/जिला पंचायतों/ग्राम पंचायतों/वन पंचायतों) द्वारा पूर्व से संचालित किये जा रहे कांजी हाउस/गोशाला शरणालयों को, पंजीकृत एवं राजकीय मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालन :–

शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग/वन विभाग के अन्तर्गत निकायों (नगर निगमों/नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों/जिला पंचायतों/ग्राम पंचायतों/वन पंचायतों) द्वारा पूर्णतः स्वयं के संसाधनों (शतप्रतिशत वित्त पोषण/कार्मिकों की नियुक्ति) से कांजी हाउस/गोशाला शरणालयों के संचालन किये जाने की अपेक्षा यह कार्य, यथासम्भव पंजीकृत एवं राजकीय मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना उचित होगा। इस क्रम में निम्न शर्तों के अनुरूप गैरसरकारी संस्थाओं का चयन किया जायेगा :–

- गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्व से संचालित कांजी हाउस/गोशाला शरणालय संचालन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन।
- जिला स्तरीय समिति के साथ समन्वय बनाते हुए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/ समीक्षा एवं अनुशंसा।
- अर्हताएँ पूर्ण करने उपरान्त गोसदन संचालन हेतु गैरसरकारी संस्था का चयन।
- गैरसरकारी संस्था के साथ गोसदन संचालन हेतु अनुबन्ध।
- क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) के माध्यम से प्राप्त गोसदनों के मासिक निरीक्षण की समीक्षा।

Category IV- निजी भूमि पर पूर्व से संचालित मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों का सुदृढ़ीकरण –

- आवेदक द्वारा स्वंय की भूमि पर संचालित गोसदन।
- आवेदक द्वारा दान से प्राप्त भूमि पर संचालित गोसदन।
- आवेदक द्वारा न्यूनतम 10 वर्षों के लिए लीज/किराये पर ली गयी भूमि पर संचालित गोसदन।
- आवेदक द्वारा पूर्व से संचालित गोसदन पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर गोसदन में

शरणागत निराश्रित गोवंशीय पशुओं की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप गोसदन के क्षमता विस्तार के क्रम में निर्माण हेतु आंगणन तैयार कर जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रेषित करना।

Step 5 – जिला स्तरीय समिति द्वारा किसी भी सरकारी संस्था को गोशाला निर्माण हेतु कार्य का आबंटन।

- गोसदन निर्माण हेतु सरकारी संस्था के माध्यम से आंगणन तैयार कराया जाना।
- आंगणन के आधार पर शासन को बजट अवमुक्त हेतु प्रस्ताव प्रेषण।
- समय–समय पर गोशाला निर्माण कार्य का विकासखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से निरीक्षण कराना।
- निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त सरकारी संस्था से सदुपयोग किये गये बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।

<u>गैरसरकारी संस्थाओं के माध्यम से गोसदन संचालन के क्रम में आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु मानक :–</u>

- समस्त आवेदक संस्था, उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित नियमावलियों/संशोधनों तथा तद्क्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।
- संस्था के प्रस्तावानुरूप निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।
- आवेदक संस्था द्वारा गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने/स्वीकार करने हेतु बाध्य होगी।
- मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण–पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का समायोजन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक संस्था द्वारा गोवंश के उचित भरण–पोषण/देख–रेख एवं प्रबन्धन तथा अन्य समस्त व्ययों को अनुदान में दी गयी राजकीय सहायता से अतिरिक्त व्यय होने पर गोसदन स्वयं के संसाधनों से अथवा धमार्थ/दान के माध्यम से निर्वहन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदत्त पशुकल्याण संस्था से रू० 100/- के अनुबन्ध पत्र में यह लिखित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा कि, भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का उपयोग गोसदन द्वारा निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण/प्रबन्धन हेतु ही सदुपयोग किया जायेगा।
- शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था का किसी भी समय में निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
- गेवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड

CamScanner

शासन/जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय द्वारा आवेदक संस्था को 16 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आवंटन निरस्त कर गोवंश का प्रबंधन/भू. अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु सक्षम होगा। ऐसी दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा।

- मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर, क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग/जिला पंचायत के माध्यम से विस्थापित किया जायेगा।
- गैरसरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।
- जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

<u>जिला प्रशासन/राज्य सरकार स्तर से नवीन गोसदन शरणालय स्थापना किये जाने हेतु धरणबद्ध प्रक्रिया</u>

क्र0सं0	कार्यो का विवरण	कार्यदायी अधिकारी	समयावधि
प्रथम चरण	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विचरण कर रहें निराश्रित अलामकार गोवंश की गणना हेतु सर्वेक्षण	• जिलाधिकारी द्वारा नियुक्ति किए गये अधिकारी • नगर आयुक्त./अधिशासी अधिकारी • अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत • जिला विकास अधिकारी • जिला पंचायतीराज अधिकारी • सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	दिनांक 15 जून, 2023 से दिनांक 30 जून, 2023 तक।
द्वितीय चरण	नवीन गोसदन शरणालय स्थापना किये जाने हेतु भूमि का चिन्हीकरण	• जिलाधिकारी • उपजिलाधिकारी	दिनाक 30 जून, 2023 से दिनांक 15 जुलाई, 2023 तक।
तृतीय चरण	गोसदन संचालन किये जाने हेतु निविदा के माध्यम से गैर–सरकारी संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करना	• जिलाधिकारी • मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	दिनांक 15 जुलाई.. 2023 से दिनांक 30जुलाई, 2023 तक।
चतुर्थ	चिन्हांकित भूमि को गैर सरकारी संस्थाओं को	• जिलाधिकारी	दिनांक 01 अगस्त, 2023 से दिनांक 31

चरण	आंबटित किया जाना।	• उपजिलाधिकारी	अगस्त, 2023 तक।
पंचम चरण	गोशाला शरणालय का निर्माण	• अनुमोदन उपरांन्त गैर–सरकारी संस्था / • जिलाधिकारी • शहरी विकास विभाग	दिनांक 01 सितम्बर, 2023 से दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक।
छष्ठ चरण	नये गोसदन की स्थापना एवं संचालन की शुरुआत	• अनुमोदित की गयी गैर–सरकारी संस्था	माह दिसम्बर से

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों की स्थापनां व संचालन हेतु उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Basava Venkata
Rana Chandra Purushottam
(डॉ० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
Date: 28-08-2023 18:09:12
सचिव।

CS CamScanner

उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून

(गा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरुप पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला रोड, देहरादून– 248001

फोन नं०: 0135 2532 850 फैक्स नं०: 2532 811 E-mail: uttarakhandawb@gmail.com

website : http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board

कार्यालय पत्रांक : UAWB (204 Main File)/2025–26 दिनांक : जुलाई, 2025

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय : गोसदन संचालन हेतु अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि, पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 1847–53 दिनांक 11 अगस्त, 2023 को निरस्त करते हुए, निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण दिये जाने हेतु सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 909/XV-1/25/63495 दिनांक 02 जून, 2025 के क्रम में जनपद स्तरीय समिति द्वारा नवनिर्मित गोसदनों के संचालन हेतु अनुबन्ध किया जाना है। उक्त के क्रम में गैरसरकारी संस्था के प्रतिस्पर्धात्मक/तुलनात्मक चयन के क्रम में प्रस्तावित संशोधित मानक निम्न प्रकार प्रस्तुत किये गये :–

क्र०	प्रस्तावित प्रतिस्पर्धात्मक/तुलनात्मक चयन मानक		प्रस्तावित अंक
	शीर्षक	उपशीर्षक	
1.	नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु अनुबन्ध की जाने वाली गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था का उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकरण	–	50

/1/2025-AHD-Directorate-Directorate of Animal Husbandry Dept (Computer No. 33433)
ffice by URVASHI, VO-I-UAWDB, VETERINARY OFFICER GRADE I, Directorate of Animal Husbandry Dept on 24/07/2025 01:33 pm

CamScanner

CamScanner

2.	भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के तहत गैरसरकारी संस्था के रुप में पंजीकरण	–	20
3.	उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकरण/भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड पंजीकरण का स्थान	सम्बन्धित जनपद अन्तर्गत	100
		उत्तराखण्ड अन्तर्गत	60
		उत्तराखण्ड से बाहर	20
4	उत्तराखण्ड शासन अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा नगर निकाय अन्य स्थानीय निकाय के अभिलेखों के अनुरुप गत वित्तीय वर्ष में शरणागत गोवंश की औसत संख्या	2,500 से अधिक	100
		2,001 - 2,500	80
		1,501 - 2,000	60
		1,001 - 1,500	40
		501 - 1,000	20
		101 - 500	10
		25 - 100	05
5.	निराश्रित परित्यक्त गोवंश को शरण दिये जाने हेतु आवेदक संस्था का एक्ट के तहत पंजीकरण उपरान्त अनुभव	05 वर्ष से अधिक	100
		05 वर्ष से कम	50
6.	उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड/ भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकृत संस्था जिनके विरुद्ध शिकायती प्रकरण विचाराधीन हो		(-50)

अतः उक्त क्रम में अपने जनपद अन्तर्गत गोसदनों के संचालन हेतु चिन्हीकृत भूमि पर गोसदन शरणालयों के संचालन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए निविदा के माध्यम से उक्त प्रकरण पर यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

CamScanner

Digitally signed by
Basava Venkata Rama Chandra Purushottam
Date: 24-07-2025 09:46:47

(डा० बी०वी०आर०सी० पुरुषोत्तम)
निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. - निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. - सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
3. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. - अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौडी गढ़वाल/कुमायू मण्डल नैनीताल।

Digitally signed by
UDAI SHANKAR
Date: 24-07-2025
11:42:26

(डा० उदय शंकर)
अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

CamScanner

ANNEXURE B

शासनादेश संख्या 36254/XV-1/23/7(14)22 दिनांक 04–07–2024 के अनुरुप, राजकीय अनुदान से पूर्व अनुबन्ध की शर्तें :

1– अलाभकर गोवंश (वृद्ध, बीमार, विकलांग, अनुत्पादक, निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गो तस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रोपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, आवेदक संस्था .....
उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम–2007 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियों/ संशोधन आदेशों तथा तदक्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों तथा जनपदीय गोआश्रय अनुश्रवण समिति/ विकासखण्ड स्तरीय गो आश्रय अनुश्रवण समित द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।

2– आवेदक संस्था – ..... गोसदन की निर्धारित क्षमतानुसार गोवंश की संख्या के बराबर अलामकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/ स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।

3– आवेदक संस्था – ..... पंजीकृत एवं राजकीय मान्यता प्रदत्त गैर–सरकारी संस्था है तथा इस संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से राजकीय मान्यता हेतु आवेदन किया गया है।

4– आवेदक संस्था – ..... निम्न प्राविधान के अनुरुप पंजीकृत गैरसरकारी संस्था है (जो भी लागू हो उस बिन्दु पर सही ✓ का निशान लगाये) :–

(क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है
अथवा
(ख) अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धमार्थ संस्था है
अथवा
(ग) पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड तहत पंजीकृत संस्था है
अथवा
(घ) किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है

5– आवेदक संस्था – ..... समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख–भरण पोषण हेतु–राजकीय आंशिक सहायता भरण–पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

6– आवेदक संस्था – ..... गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने स्वीकार करने हेतु सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

7– आवेदक संस्था – ..... भरण–पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का अनवार्य रुप से एक माह के भीतर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण उपरान्त समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी टिहरी को उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

CamScanner

8– आवेदक संस्था – ..... गोवंश भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का सदुपयोग, निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण/प्रबन्धन हेतु ही किये जाने के क्रम में कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

9– आवेदक संस्था – ..... भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि, शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि, संस्था का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है। इस क्रम में संस्था पूर्ण सहयोग किये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

10– आवेदक संस्था – ..... भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि, गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/ जिला प्रशासन/ स्थानीय निकाय, आवेदक संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित किया जा सकता है। आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आबंटन निरस्त कर, गोवंश/ भू प्रबंधन अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

11– आवेदक संस्था – ..... की गौशाला मे क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर, क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग/ जिला पंचायत के माध्यम से विस्थापित किये जाने हेतु कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध है।

12– आवेदक संस्था – ..... भली प्रकार विदित एवं सहमत है कि, संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध अवस्था में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/ प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

CamScanner

Annexure A

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

Uttarakhand Animal Welfare Board

(मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन गठित संस्था)
शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोवाला देहरादून।
फोन नं0 – 0135 – 2532 850 फैक्स : 0135 – 2532 811
वैब साइट : **httpahd.uk.gov.inpagesdisplay132-uttarakhand-animal-welfare-board**

पशु कल्याण संस्था के रुप में मान्यता/राजकीय अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र

1. संस्था का परिचय
   - नाम
   - पता
   - पिन कोड
   - दूरभाष/एस.टी.डी कोड
   - फैक्स
   - ई मेल

2. संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम एवं पते :

3. क्या संस्था भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है ? यदि हॉ तो कोड संख्या ?

4. आपकी संस्था द्वारा पशु कल्याण का क्या कार्य किया जाता है ?
   ए बी. सी./बचाव कार्य/पशु शरणालय/पशु चिकित्सा /

   प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य/विधिक न्यायालयी सहायता

5. क्या आपकी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट एक्ट अथवा विदेशी सहायता एक्ट के तहत पंजीकृत है ?

   यदि हॉ तो :–

   (क) कृपया पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत करें।

   (ख) पंजीकरण कार्यालय

   (ग) पंजीकरण संख्या

   (घ) पंजीकरण तिथि

CamScanner

6. संस्था का स्थापना वर्ष / नियमावली की सत्यापित छायाप्रति / पदाधिकारियों का विवरण एवं उनके दायित्व तथा कार्यक्षेत्र :

7. गत तीन वर्षो का आय व्यय लेखा :

8. क्या संस्था द्वारा राजकीय कोष से (भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अथवा भारत सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड अथवा उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत किसी अन्य संस्था या सांसद निधि या विधायक निधि या ग्राम पंचायत अथवा क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत या नगर पालिका अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय) से पशु कल्याण कार्यो हेतु अनुदान प्राप्त किया गया ? यदि हाँ तो प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लेखा विवरण भेज दिया गया है ?

   प्राप्त अनुदान का विवरण प्रस्तुत करे।

9. संस्था की संपत्ति / संसाधन

9.1 भूमि :

   (क) कुल भूमि उपलब्धता :

   (ख) क्या भूमि आपकी संस्था के नाम पंजीकृत है ?

   यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

   (ग) क्या भूमि आपकी संस्था के नियंत्रणाधीन है ?

   यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट करें कब से उक्त भूमि आपके नियंत्रणाधीन है ?

   (घ) किस प्रकार भूमि अर्जित की गयी ? तदनुसार अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करें।

- क्रय से अर्जित की गयी ?
- दान से अर्जित की गयी ?
- न्यूनतम 30 वर्ष के पट्टे से अर्जित की गयी ?
- राजकीय भूमि ?
- स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि ?

CamScanner

(ङ) क्या आपकी भूमि में परिसर दीवार अथवा आयरन फैंसिंग करा ली गयी है ?

(च) बड़े पशुओं के गौचर हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

(छ) छोटे पशुओं के भ्रमण हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल :

9.2 उपलब्ध पशु चिकित्सा/प्राथमिक चिकित्सा संसाधन :

पशु चिकित्सक : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

पैरा वैटनरी स्टाफ : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

श्रमिकवर्ग पैरावैट : संख्या ?

उपलब्धता – पूर्ण कालिक/ अंशकालिक/ संविदा पर/ निस्वार्थ सेवा

- औषधालय :
- औषधि उपलब्धता सूची :
- क्या औषधि उपलब्धता सूची को मासिक रुप से पुनः नवीनीकृत किया जाता है ? :
- आइसोलेसन वार्ड/ आई. सी. यू. / बीमार पशु वार्ड :
- लिफ्टिंग पैन / एम्बुलेंस की उपलब्धता :
- अन्य सुविधायें :

9.3 पशुओं हेतु चारा/भोजन का श्रोत एवं भण्डारण सुविधा :

– पशुओं हेतु चारागाह की सुविधा –
– सूखे चारे के श्रोत –
– परिसर में उपलब्ध चारा वृक्षों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
– गत वर्ष लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता
– चालू वर्ष में लगाये गये पेड़ों की संख्या ? औसत उत्पादकता ?
– परिसर में चारा घासों का रोपित क्षेत्रफल ? औसत उत्पादकता ?
– अन्य श्रोतों से उपलब्धता ?

CamScanner

- चाराचरी की उपलब्धता – संख्या –
- भूसा स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या एवं साइज –
- अन्य चारे हेतु स्टोर कक्षों की व्यवस्था – संख्या एवं साइज –
- चैप कटर की उपलब्धता – संख्या –
- चारा घासों का फसल चक्र –

9.4 अन्य संसाधन एवं अन्य सुविधायें :

- बिजली –
- बल्ब –
- ट्यूब लाइट –
- पंखे –
- ट्यूबवैल/बोरवैल/मोटराइज्ड पम्प –
- मोटराइज्ड चैपकटर –
- पेय जल श्रोत –

(कुआं /बोर वैल / हैंड पंप / प्राकृतिक श्रोत / नहर / नदी / पेय जल संयोजन)

- पेय जल संग्रहण की सुविधा :

ओवर हैड टैंक – संख्या क्षमता –

स्टोरेज टैंक (सीमेंट) – संख्या क्षमता –

स्टोरेज टैंक (प्लास्टिकंट) – संख्या क्षमता –

पानी पीने की नांद – संख्या

- नाली की व्यवस्था
- मूत्र संग्रह की व्यवस्था
- गोबर संग्रह की व्यवस्था
- चारा पिट्स की व्यवस्था
- स्वच्छता एवं सफाई की दशा :
- गोजन पकाने/ तैयार करने हेतु बर्तन आदि की सुविधायें :

9.5 कार्यालय अभिलेखों का विवरण :

- कार्यालय पंजिकाओं के शीर्षक :
- कार्यालय फाइलों के शीर्षक :
- अन्य अभिलेख :

CamScanner

10. वर्तमान में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या ?
आवेदन पत्र के साथ संलग्नक प्रपत्र 1 में समस्त सूचनाऐं उल्लिखित करें।

रोगी पशु संख्या ?

निराश्रित अपंग पशु संख्या ?

निराश्रित अनुत्पादक/बृद्ध पशु संख्या ?

निराश्रित उत्पादक पशु संख्या ?

11. **दुधारु पशुओं में ऑक्सीटोसिन एवं अन्य दवाओं के प्रयोग का विवरण :**

12. **क्या आपकी संस्था में गोबर गैस का सदुपयोग प्रारम्भ कर दिया गया है ? :**
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

13. **क्या आपकी संस्था में वर्मी कल्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?**

14. **क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र विक्रय का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :**
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

15. **क्या आपकी संस्था में गौमूत्र शोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :**
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

16. **क्या आपकी संस्था में गौ मूत्र से अन्य उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :**
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

17. **क्या आपकी संस्था में पंचगव्य से विभिन्न उत्पाद तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? :**
यदि हॉ तो कृपया प्रगति विवरण दें।

18. **गत वर्षों में आपकी संस्था द्वारा बचाये गये पशुओं का विवरण :**
समाचार पत्रों की पेपर कटिंग्स,/ फोटो ग्राफ्स/वी. सी. डी. संलग्न कर प्रस्तुत करें।

19. **संस्था में पशुओं को रखने की क्षमता हेतु विवरण संलग्न–1 के अनुरूप प्रस्तुत करें।**

CamScanner

20. संस्था में कर्मचारियो का विवरण संलग्न–2 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

21. संस्था के अभिलेखों की छायाप्रतियाँ संलग्न–3 के अनुरूप प्रस्तुत करें।

22. स्पष्ट करें कि वांछित अनुदान धनराशि सुदृढ़ीकरण हेतु वांछित है अथवा नव–निर्माण हेतु।

मैं/हम ने गौ–सदन स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिये आर्थिक अनुदान धनराशि हेतु, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 एवं तत्सम्बन्धित शासनादेशों (शासनादेश संख्या 759/XV-1/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 18 दिसम्बर, 2008, शासनादेश संख्या 807/XV-1/11/1(3)08, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या 1063/XV-1/16/1(3)/2008, पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 28 दिसम्बर, 2016) में उल्लिखित शर्तें एवं अनुमन्यतायें भली–भाँति पढ़ ली हैं। हमारी संस्था को सभी शर्तें स्वीकार हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

संलग्नक : आवेदन प्रपत्र–1 से प्रपत्र–3 सलग्न कर प्रेषित करें।

CamScanner

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–1

योजना का नाम :– गौ सदन/पशु शरणालय

1. संस्थान का नाम :

2. वर्ष :

शरणागत पशुओं का विवरण

क्रम सं0	पशुओं के प्रकार व नस्ल	वयस्क		बच्चे		योग
		नर	मादा	नर	मादा	
1.	गोवंशीय पशु (भारतीय नस्ल)					
2.	गोवंशीय पशु (विदेशी नस्ल)					
3.	अन्य पशु					
कुल शरणागत पशु						
अतिरिक्त उपलब्ध क्षमता (वर्ग फुट)	..... वर्ग फुट (गो पशुओं हेतु) ..... वर्ग फुट (अन्य पशुओं हेतु)					

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

CamScanner

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–2

योजना का नामः– गौ सदन/पशु शरणालय के रख–रखाव/उपचार हेतु उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

भाग–1 (गत वर्ष.................................)

1. संस्था का नाम :–

2. संस्था का पता :–

3. वर्ष

कम सं0	कार्मिक का नाम व पता	योग्यता	नियुक्ति की तिथि	अवधि	प्रतिमाह वेतन	गत वर्ष किया गया कुल वेतन भुगतान	टिप्पणी

आवेदक के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर तिथि :

आवेदक का नाम :

आवेदक का पता :

CamScanner

गौ–सदन/पशु शरणालय के स्थान हेतु प्रपत्र के साथ अपेक्षित अभिलेखों की सूची :–

1. निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र
2. विस्तृत प्रस्ताव एवं गौ सदन के निर्माण का औचित्य
3. आवेदन पत्र के बिन्दु–5 के अनुरुप पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित छायाप्रति
4. संस्था का स्मृति पत्र की सत्यापित छायाप्रति
5. संस्था की नियमावली की सत्यापित छायाप्रति
6. साईट प्लान/ब्लू प्रिन्ट जो कि स्थानीय निकाय के द्वारा स्वीकृत हों।
7. भूमि के अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति (भूमि की रजिस्ट्री अथवा लीज अथवा पंचनामा की सत्यापित छायाप्रति। भूमि कम से कम 30 वर्ष हेतु पट्टे पर ली गयी हो।)
8. संस्था के नाम पर भूमि के पंजीकरण के रजिस्टर अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति।
9. स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत गौ–सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (सत्यापित छायाप्रति)।
10. गौ–सदन/पशु शरणालय बनाये जाने हेतु धनराषि का मदवार आबंटन लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत दरों पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार किया जाए (मूल रूप में)।
11. संस्था की अधिशासी समिति तथा सामान्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची (नाम, पता, दूरभाष संख्या)
12. संस्था के गत वर्श के आय–व्यय लेखा का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित निम्न अभिलेखों की छायाप्रति :–
    1. आय–व्यय का लेखा (बैलेन्स शीट)
    2. व्यय लेखा (एक्सपेंडिचर एकाउन्ट)
    3. प्राप्ति भुगतान लेखा
    4. सम्परीक्षण प्रतिवेदन
13. आज तक पशु कल्याण हेतु किये गये कार्यों का विवरण तथा उन पर किये गये व्यय।
14. गौ–सदन को भली–भाँति चलाने तथा पशुओं के रख–रखाव हेतु वित्तीय संसाधन।
15. क्या आज तक संस्था को भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड से वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है (यदि हाँ तो विवरण दें तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उपयुक्तता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
16. औषधि/उपकरण क्रय हेतु रेट कोटेशन की छायाप्रति।
17. वर्तमान समय में उपलब्ध भवनों की क्षमता।
18. क्या संस्था द्वारा स्थानीय निकाय में आवारा पशुओं को षरण दिये जाने के बावत सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है (यदि हाँ तो कृपया अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
19. वर्तमान समय में आपकी संस्था में शरणागत पशुओं की संख्या के अभिलेख के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र–1
20. वर्तमान समय में आपकी संस्था में कार्यरत कार्मिकों की संख्या के क्रम में संलग्नक आवेदन प्रपत्र–2

<u>अपील :–</u>

आवेदक संस्थाओं से निवेदन है कि अपने <u>'आवेदन प्रस्ताव'</u> के साथ समस्त अभिलेख संलग्न करें, जिससे प्रस्तावों पर शीघ्रतिंशीघ्र निर्णय हेतु सुविधा हो सके।

आवेदन प्रपत्र संलग्नक–3

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता लिये जाने के क्रम में आवेदक संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव

आवेदक संस्था का नाम :

आवेदक संस्था का पता :

आज दिनांक ..... स्थान ..... पर हमारी संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई। प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

1. हमारी संस्था द्वारा अलाभकर गोवंश (वृद्ध/ बीमार /विकलांग/ बांझ/ अनुत्पादक निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश) को शरण दिये जाने का पवित्र कार्य किया जायेगा।

2. हमारी संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों/दान अथवा जनसहयोग से मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु कृत संकल्प एवं समर्थ है।

3. हमारी संस्था पशुपालन मंत्रालय, उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता लिये जाने हेतु सहमत है।

4. हमारी संस्था उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त आंशिक सहायता/भरण पोषण अनुदान से लाभान्वित किये जाने हेतु आकांक्षी है।

5. हमारी संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख भरण पोषण करने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

6. हमारी संस्था, गोहत्या के निषेध तथा गोतस्करी के निवारण हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

7. हमारी संस्था द्वारा शरणागत गोवंश की बीमारी की दशा में राजकीय पशुचिकित्सालय के माध्यम से चिकित्सा कराये जाने तथा मृत्यु की दशा में शव परीक्षण/प्रमाणन कराये जाने हेतु कृत संकल्प एवं वचनबद्ध है।

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

CamScanner